



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 81—अ०प्र०(२३)/पा०का०लि०/२०१४

दिनांक: ०९, सितम्बर, २०१४

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिकारी अभियन्ता (वै० एवं यां०) को अधीक्षण अभियन्ता, (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं यां०) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-०४ के अनुसार निगम को आबण्टित किया जाता है:-

| क्र० सं० | नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक | वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान | अधीक्षण अभियन्ता (वै०एवं यां०) के पद पर प्रोन्नति के आबण्टित निगम |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री रमेश चन्द्र (पि०जा०) 86079, मुजफ्फरनगर 31.12.2020 | अधिकारी अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता, पारेषण पश्चिम मेरठ | उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (क०ज्ञा०सं० ६०—अ०प्र०(२३)/पा०का०लि०/२०१४ दि० ३१.०७.२०१४ के क०सं० ४ के आंशिक संशोधन में) |

- 2— उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निवेशित याचिका संख्या ए—नम्बर—३८३७२/२०१३—अनुप चन्द्र एवं ५ अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं ३४ अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।
 3— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक २१-३-२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
 4— आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्तीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
 5— उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
 6— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०—५९१०—गोपन/पा०का०लि०(०६)—२००१ दिनांक ११-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आँख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 81—अ०प्र०(२३)/पा०का०लि०/२०१४ तदिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 2— अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०वर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
 - 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्रत/मध्यान्ध्रत/पूर्वान्ध्रत/पश्चिमान्ध्रत विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
 - 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट०न्समिशन का०लि०।
 - 5— समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 6— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
 - 7— अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 8— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

S. Shrivastava
०९-०९-१४
(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव